राज्य के पीसीएस अधिकारियों के लिये 'स्पैरो-यूपी' पोर्टल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पीसीएस अधिकारियों **(PCS Officers)** को अपनी चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिये 'स्पैरो-यूपी' पोर्टल का निर्माण किया है। सभी अधिकारियों को लॉग-इन व पासवर्ड भी दे दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इन अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि **(NCR)** भी अब ऑनलाइन दी जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिये थे।
- गौरतलब है कि आईएएस अधिकारियों के लिये अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पहले से अनिवार्य है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।
- आईएएस अधिकारियों को स्पैरो सॉफ्टवेयर से अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होता है। आईएएस अधिकारियों के लिये लागू व्यवस्था की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिये भी यह व्यवस्था लागू कर दी है।
- इसके तहत राज्य के सभी पीसीएस अधिकारियों को हर साल 1 से 21 जनवरी के बीच अपनी संपत्ति का हिसाब देना होगा। ऐसा न करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
- प्रत्येक अधिकारी को हर साल अप्रैल में पिछले वित्त वर्ष के लिये अपना सेल्फ एप्रेजल भी ऑनलाइन देना होगा। ब्यौरा न देने वाले अफसरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे लोगों की वार्षिक प्रविष्टि रोकी जा सकती है। इससे इंक्रीमेंट और पदोन्नति भी प्रभावित हो सकती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sparrow-up-portal-for-pcs-officers-of-the-state